(17)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

निगरानी-3179/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

1• राजाराम तनय भगवानदास यादव आयु 55 साल

2• हल्के यादव तनय भगवानदास यादव उम्र 53 साल

3• रमेश यादव तनय भगवानदास यादव उम्र 50 साल

4• रामेश्वर आत्मज भगवानदास यादव उम्र 48 साल

समस्त निवासीयान ग्राम नयाखेरा हाल ग्राम खुमानपुरा तहसील व जिला टीकमगढ (म•प्र•)

-- रिवीजनकर्तागण

प्रदीप श्रीवास्तव का0 25-5-18 को आज दिनांक 25-5-18 प्रस्तुत। आर्डरशीट बर्क पेश दिनांक 28-5-18 नियत।

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

सुनील कुमार जैन तनय ताराचन्द्र जैन निवासी कटरा बाजार टीकमगढ तहसील व जिला टीकमगढ म•प्र•

-- उत्तरवादी

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म•प्र• भू राजस्व संहिता प्रतिकूल राजस्व निरीक्षक मंडल टीकमगढ के द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/अ-12/2017-18 दिनांक 02/11/2017 को भूमि खसरा नंबर 73/3 के अंश रकबा 0•130 हेक्टेयर पर अ0 रिवीजनकर्तागण के मकान एवं बेड़ा बना कर कब्जा होने का उल्लेख कर सीमांकन किया गया है :-

Shrivastav
प्रदीप श्रीवास्तव
एड.

महोदय,

रिवीजनकर्तागण की विनय सादर निम्न प्रकार है :-

(1) यह कि राजस्व निरीक्षक टीकमगढ द्वारा सीमांकन अंतर्गत धारा 129 के तहत जिस प्रकार कार्यवाही की गई है वह एक पक्षीय बिना किसी सूचना के दिनांक 18/11/2017 को की गई है उसमे विधि अनुकूल प्रक्रिया का पालन नही किया गया है जिसमें प्राथमिक रूप से कानूनी खामी दृष्टिगोचर होती है ।

(2) यह कि सरहददी किसान को न तो कोई सूचना दी गई एवं दिनांक -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3179/2018/टीकमगढ़/भू.रा. राजाराम विरूद्ध सुनील कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक राजाराम की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव एवं अनावेदक सुनील कुमार की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल टीकमगढ़ के सीमांकन आदेश दिनांक 02-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 24-01-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 19.12.18 सदस्य	